न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/17

1. देवकरण आत्मज गिरवर जाति रेबारी आयु 65 वर्ष ।
2. सूरजमल आत्मज बद्रीलाल जाति रेबारी आुय 63 वर्ष ।
3. अमरा आत्मज फकलू जाति रेबारी आयु 70 वर्ष ।
4. महेन्द्र आत्मज गिरवर जाति रेबारी आयु 45 वर्ष ।
5. मोडू आत्मज बद्रीलाल जाति रेबारी आयु 60 वर्ष निवासीगण पीपल्या तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 25.08.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.02.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 92ए के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम पीपल्या तहसील नैनवा जिला बून्दी में खसरा नम्बर 216 रकबा 03 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 217 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि जमाबन्दी संवत् 2012 से 2015 में बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज है । संवत् 2068 में यह भूमि सिवायचक नाकाबिल काश्त दर्ज है किन्तु जमाबन्दी में शमशान घाट एवं गिरदावरी में गैर मुमकिन शमशान कॉलम नं0 03 में दर्ज कर दिये हैं । शमशान के नाम का यह इन्द्राज

अवैधानिक है जो बिना किस राजस्व अधिकारियों के आदेश या आवंटन के किया गया है । शमशान का इन्द्राज निरस्त फरमाया जावे ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी जमाबन्दी में पूर्व की भांति सिवायचक बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज किया जावे व शमशान का इन्द्राज निरस्त फरमाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.02.2018 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.02.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि वादग्रस्त आराजी सिवायचक नाकाबिल काश्त दर्ज रही है । गॉव में दो जगह सार्वजनिक शमशान की भूमि स्थित है । जिस गॉव में वादग्रस्त आराजी है वह छोटा सा गॉव है व वादग्रस्त आराजी गॉव के अन्दर होने से आबादी से घिरी हुई है । उक्त भूमि पर अपीलान्ट अपने पूर्वजों के समय से ही मकान बनाकर निवास करते चले आ रहे हैं । अपीलान्ट के पास अन्य कोई मकानात नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड को अनदेखा करते हुए मौके की स्थिति से विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार प्राप्त था कि वह गलत इन्द्राज को दुरूस्त कर आबादी वास्ते भूमि उपलब्ध करवायी जाने हेतु ग्राम पंचयत को निर्देशित करती, चूँकि उक्त भूमि के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत ने पूर्ण कोरम से प्रस्ताव पारित कर आबादी में सम्मलित किये जाने का प्रस्ताव पारित किया हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.02.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 26.02.2018 को सुनाया और दावा खारिज किया तथा निर्णय बाद में लिखा दिये जाने का कथन किया था । अपीलान्टगण अधीनस्थ न्यायालय में गये परन्तु निर्णय नहीं लिखाया गया । दिनांक 16.11.2018 को न्यायालय में जाने पर ज्ञात हुआ कि निर्णय लिख दिया गया है । उसी दिन अपीलान्ट ने नकल का प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने एक दावा हक घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया था जिसमें यह कथन किया था कि वादग्रस्त आराजी आबादी क्षेत्र में थी जिसमें अपीलान्ट मकान बनाकर वर्षों से निवास कर रहे हैं । अतः आराजी को पुनः सिवाय

चक दर्ज किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के सिद्धान्तों के विपरीत दावा खारिज किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि वादग्रस्त आराजी सिवायचक नाकाबिल काश्त दर्ज रही है जिसको मनमाने तौर पर राजस्व रिकॉर्ड में शमशान दर्ज किया है । आराजी आबादी से जुडी हुई है जिस पर अपीलान्ट पूर्वजों के समय से मकान बनाकर रह रहे हैं । अपीलान्ट के पास अन्य कोई मकान नहीं है । इस त्रुटि को दुरूस्त करने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को था । मौके पर शमशान नहीं है, कब्जा वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.02.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सरकारी भूमि है और शमशान दर्ज है जिसकी किस्म गै0मु0 शमशान है । इस आराजी के बाबात् अपीलान्ट का हक घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का दावा मेन्टेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.02.2018 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलान्ट ने हक घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का दावा वादग्रस्त आराजी के बाबत् पेश किया है । पत्रावली के साथ जो नकल जमाबन्दी संलग्न है उसमें वादग्रस्त आराजी शमशान के रूप में सरकार के खाते में दर्ज है । इस आराजी के बाबत् वादी का हक घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का दावा मेन्टेनेबल नहीं है । राजकीय आराजी की किस्म परिवर्तन का दावा भी भूमि धारक द्वारा ही पेश किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.02.2018 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 25.08.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25.8.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 19/17

1. देवकरण आत्मज गिरवर जाति रेबारी आयु 65 वर्ष ।
2. सूरजमल आत्मज बद्रीलाल जाति रेबारी आुय 63 वर्ष ।
3. अमरा आत्मज फकलू जाति रेबारी आयु 70 वर्ष ।
4. महेन्द्र आत्मज गिरवर जाति रेबारी आयु 45 वर्ष ।
5. मोडू आत्मज बद्रीलाल जाति रेबारी आयु 60 वर्ष निवासीगण पीपल्या तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय दिनांक एवं डिक्री दिनांक 26.02.2018 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 31/दावा/2013

1. देवकरण आत्मज गिरवर जाति रेबारी आयु 65 वर्ष ।
2. सूरजमल आत्मज बद्रीलाल जाति रेबारी आुय 63 वर्ष ।
3. अमरा आत्मज फकलू जाति रेबारी आयु 70 वर्ष ।
4. महेन्द्र आत्मज गिरवर जाति रेबारी आयु 45 वर्ष ।
5. मोडू आत्मज बद्रीलाल जाति रेबारी आयु 60 वर्ष निवासीगण पीपल्या तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक एवं डिक्री दिनांक 26.02.2018 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 25.08.2020 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री महेश योगी एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.02.2018 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 25.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

25/08/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा